न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 172/2017

अनवान :

1. सिलोचना पुत्री जयसिंह पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोझला हाल जोगीवाला तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. सावित्री पुत्री जयसिंह पत्नी धर्मवीर जाति जाट निवासी बोझला हाल देयड़ तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
3. सन्तोष पुत्री जयसिंह पत्नी विनोद जाति जाट निवासी बोझला हाल देयड़ तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)

- वादीगण

बनाम

1. जयसिंह पुत्र नारायण जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (फौत)
   1ए. पार्वती पत्नी जयसिंह जाति जाट नि0 बोझला तहसील भादरा।
2. रामचन्द्र पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी बोझला हाल गुड़गांव (हरियाणा)
3. करणीसिंह पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88-188 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री किसन यादव : **वादीगण**

वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : **प्रतिवादी सं0 2 व 3**

निर्णय 20.6.18 **दिनांक :** 20.6.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम बोझला की जामबन्दी सम्वत् 2073 से 74 के खाता सं0 37/36 के खसरा सं0 164/1 की 0.065 है0 खसरा सं0 169 की 1.126 है0, खसरा सं0 171/2 की 0.397 है0 कुल 1.588 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है। वादीगण जयसिंह की पुत्रियां है तथा प्रतिवादी सं0 2 व 3 जयसिंह के पुत्रगण है। इसके अलावा अन्य कोई पुत्र पुत्रियां मौजूद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 जयसिंह के पुत्र पुत्रियां होने के कारण वाद भूमि में उनका जन्म से हक व अधिकार है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है। जिसमें विरासतन वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 का प्रतिवादी सं0 1 के साथ बराबर के हकदार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने जबाबदावा पेश किया।

बहस वकुलाए फरिकेन सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वाद की मद सं0 6 में जो वाद कारण दर्शाया गया है वह वाद कारण प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु के पश्चात् समाप्त हो चुका है। प्रतिवादी सं0 1 की

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भादरा(हनु.)

मृत्यु के पश्चात उसके नाम दर्ज वाद भूमि में अभिधारियों का उतराधिकार राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 की अनुपालना में विरासतन दर्ज किया जावेगा। वादीगण व प्रतिवादीगण तहसीलदार भादरा या सम्बंधित पटवार हल्का के पटवारी के समक्ष समुचित दस्तावेज पेश करके उतराधिकार द्वारा अपना हक हिस्सा प्राप्त कर सकते है। तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि उनके समक्ष वादीगण या प्रतिवादीगण द्वारा समुचित दस्तावेज पेश किए जाने पर विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 20.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़